FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0171 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/06/2026 16:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 23/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/06/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/06/2026 16:20:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** DEVAL NAGAR-KHADALI, GUDHAMALANI JILA BALOTRA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DAULARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHENARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DEVAL NAGAR POST KHADALI, GUDHAMALANI, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DEVAL NAGAR POST KHADALI, GUDHAMALANI, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARAYANLAL		पिता:HEERALAL	1. MANCHAPURN BALAJI COLONY,GUDHAMALANI, बालोतरा,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् एडिनल एस0पी0 साहब एसीबी बाड़मेर विशय -श्री नारायण लाल भू-अभिलेख निरीक्शक नगर गुड़ामालानी के विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय,निवेदन मुझ दौलाराम पुत्र श्री चेनाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पैशा खेती बाड़ी निवासी देवल नगर, ग्राम पंचायत खड़ाली तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा का इस प्रकार हैं कि मेरे पिताजी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी में एक वाद संख्या 21/2023 विप्रार्थीगण श्री भेराराम एवं अन्य के विरुद्व दायर कर नेखमबंदी बाबत् प्रस्तुत किया था, जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें तहसीलदार गुड़ामालानी को कमीशनर नियुक्त कर आदेश की पालना हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर मेरे पिताजी व बड़ा भाई श्री भगवानाराम व मैं भी उक्त कार्य बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी से मिला एवं आदेश की प्रति प्रस्तुत कर हमारा जायज कार्य करने हेतु कई बार निवेदन किया, किन्तु हमारा कार्य नहीं होने पर मैं एवं मेरा बड़ा भाई मार्च 2026 में तहसीलदार से पुनः मिले, जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपने आदेश क्रमांक भू0अ0/2026/03 दिनांक 12.03.2026 से भू-अभिलेख निरीक्शक नगर एवं पटवारी भू0अ0 खडाली को नेखमबन्दी हेतु आदेश पारित किया, उक्त आदेश लेकर मेरा बड़ा भाई व पिताजी कई बार श्री नारायण लाल आरआई के पास गये, किन्तु उन्हौने हर बार हमें बाद में आने का कहा, किन्तु मेरा कार्य नहीं किया। दिनांक 15 मई 2026 को श्री नारायण लाल मेरे पडौस खेत मालिक श्री भेराराम के जमीन मापने आए थे, उस समय भी मेरे परिवार वाले उनसे मिले एवं हमारा कार्य करने का निवेदन करने पर उन्हौने मेरे पिताजी व भाई को अलग बुलाकर 20 हजार रुपये मांगे और कहा कि गुडामालानी मेरे घर में आकर दे जाना, उसके बाद आपका कार्य कर दूंगा, नहीं तो घूमते रहोंगे। श्री नारायणलाल आर0आई0 हमारा जायज कार्य नहीं कर रहा है एवं रिश्वत की मांग कर रहा हैं। मेरे पिताजी व बडे भाई ने मुझे उक्त कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है, किन्तु श्री नारायणलाल आरआई मेरे पर विश्वास नहीं करता है एवं मेरे पिताजी से ही इस सम्बंध में वार्तालाप करता हैं एवं आगे की कार्यवाही भी उनके साथ ही करेंगा। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री नारायणलाल आर0आई0 नगर (गुडामालानी) को रिश्वत नहीं देना चाहता हू, रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हू। कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। मैं उक्त आदेश की छाया प्रति संलग्न कर रहा हू। दिनांक -04.06.2026 -एस. डी.-गवाह श्री रमजान खा/23.06.2026 भवदीय -एस.डी.-गवाह श्री राहुल चौधरी/23.06.2026 -एस.डी.- (दौलाराम पुत्र श्री चेनाराम) निवासी देवल नगर, ग्राम पंचायत खड़ाली, तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा मोबाईल नम्बर -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 04.06.2026 वक्त 1100 ए.एम. पर प्रार्थी दौलाराम पुत्र श्री चेनाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पैशा खेतीबाड़ी निवासी देवलनगर, ग्राम पंचायत खड़ाली तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्श अपने आधार कार्ड एंव अपने खेत के नेखमबन्दी संबधित तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 12.03.2026 एंव वाद सं. 21/2023 में एसडीएम न्यायालय गुडामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 की स्व-प्रमाणित प्रतियों के पेश कर तकरीरन दरियाफ्त पर बताया कि मेरे पिताजी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी में एक वाद संख्या 21/2023 विप्रार्थीगण श्री भेराराम एवं अन्य के विरुद्व दायर कर हमारे खेत के नेखमबंदी बाबत प्रस्तुत किया था, जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को हमारे पक्श में आदेश पारित किया गया था, जिसमें तहसीलदार गुड़ामालानी को कमिशनर नियुक्त कर आदेश की पालना हेतु आदेषित किया गया था, जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपने आदेश क्रमांक भू0अ0/2026/03 दिनांक 12.03.2026 से भू-अभिलेख निरीक्शक नगर एवं पटवारी भू0अ0 खडाली को नेखमंदी हेतु आदेश पारित किया, उक्त आदेश लेकर मेरा बड़ा भाई व पिताजी कई बार श्री नारायण लाल आर.आई. के पास गये, किन्तु उन्हांने हर बार हमे बाद में आने का कहा, किन्तु हमारा कार्य नहीं किया। दिनांक 15 मई 2026 को श्री नारायण लाल आर.आई. हमारे पडौसी खेत मालिक श्री भेराराम के जमीन मापने आए थे, उस समय भी मेरे परिवार वाले उनसे मिले एवं हमारा कार्य करने का निवेदन करने पर उन्हौने मेरे पिताजी व भाई को अलग बुलाकर 30 हजार रुपये मांगे और कहा कि गुडामालानी मेरे घर पर आकर दे जाना, उसके बाद आपका कार्य कर दूंगा, नहीं तो घूमते रहोंगे। श्री नारायण लाल आर0आई0 हमारा जायज कार्य नहीं कर रहा हैं एवं रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे पिताजी व बडे भाई ने मुझे उक्त कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया हैं, किन्तु श्री नारायण लाल आरआई मेरे पर विश्वास नहीं करता हैं एवं मेरे पिताजी व भाई से ही इस सम्बंध में वार्तालाप करता हैं एवं आगे की कार्यवाही भी मेरे पिताजी श्री चैनाराम के जरिये ही करेगा। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री नारायण लाल आर0आई0 नगर (गुडामालानी) को रिश्वत नहीं देना चाहता हू, मैं उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हू। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री लालाराम कानि0 328 को कार्यालय में तलब किया जाकर परिवादी श्री दौलाराम व श्री लालाराम कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि आर.आई. रिश्वत राशि मांग की वार्ता मेरे से नहीं कर मेरे पिताजी से ही करेगा, एवं अब समय अधिक होने से मैं रिश्वत राशि मांग वार्ता के सम्बंध में आर.आई. की उपस्थिति ज्ञात होने पर आपको सूचित कर दूंगा, जिस पर श्री लालाराम कानि0 व श्री दौलाराम के मोबाईल नम्बरो का परस्पर एक-दूसरे को आदान-प्रदान करवाकर दोनो को आपसी सम्पर्क बनाये रखने की हिदायत कर आगामी रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु श्री लालाराम कानि0 को निर्देशित किया गया एवं श्री दौलाराम को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं आरोपित आर.आई. की उपस्थिति बाबत् मालुमात कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क में रहने हेतु हिदायत कर रूखस्त किया गया। श्री लालाराम कानि0 को भी परिवादी श्री दौलाराम के सत्त सम्पर्क में रहने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु सूचित करने पर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर चौकी से प्राप्त कर परिवादी व उसके पिता के पास जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्श से उनकी वार्ता करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईस कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को परिवादीगण के मार्फत रिकॉर्ड कर लाकर प्रस्तुत करने बाबत् मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 05.06.2026 को प्रातः श्री लालाराम कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि मेरे द्वारा आज परिवादी श्री दौलाराम से कॉल कर वार्ता करने पर श्री दौलाराम ने बताया कि आप आज गुड़ामालानी आ जाए, तब तक मैं श्री नारायणराम आर आई की उपस्थिति ज्ञात कर लूंगा एवं घर से मेरा बड़ा भाई भगवानाराम मेरे पिताजी चैनाराम को गांव से गुड़ामालानी लेकर आ जायेगा, एवं श्री नारायणलाल आर.आई. के गुडामालानी स्थित घर पर जाकर रिश्वत राशि मांग की वार्ता कर उसे रिकार्ड करवा देंगे, जिस पर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड के श्री लालाराम कानि0 को सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु रवाना गुडामालानी भेजा गया, जिसने वहां पंहुच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर अवगत करवाया कि निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चौकी से रवाना होकर गुड़ामालानी चौराहा पर पहुचा, यहां पर परिवादी श्री दौलाराम एवं उसके परिवारजन उपस्थित मिले। श्री दौलाराम ने अपने पिताजी श्री चेनाराम व अपने बड़े भाई श्री भगवानाराम का परिचय करवाया, जिस पर श्री लालाराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जरिये वाट्सअप विडियोकॉल श्री दौलाराम, श्री चेनाराम व श्री भगवानाराम की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता करवाई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्ता करने पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपने पुत्र श्री दौलाराम को अधिकृत करने एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की दोनो ने ताईद करते हुए श्री नारायणलाल आर0आई द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने की ताईद की। श्री लालाराम ने यह भी बताया कि गुड़ामालानी पहुंच रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने बाबत् श्री नारायणलाल आर0आई0 की उपस्थिति बाबत जरिये मोबाईल वार्ता करने पर श्री चेनाराम को आर0आई0 द्वारा कल दिनांक 06.06.2026 को गुडामालानी बाजार स्थित अपने स्वयं के रहवासीय मकान पर आने बाबत् कहा हैं। जिस पर श्री लालाराम को वहीं रुकने की हिदायत कर गोपनीयता बरतते हुए दिनांक 06.06.2026 को परिवादीगण के साथ जाकर आरोपित आर0आई0 से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 06.06.2026 को श्री लालाराम कानि0 ने बमुकाम गुड़ामालानी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि निर्देशानुसार आज परिवादीगण से वार्ता कर गुड़ामालानी पहुंच, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने बाबत् कहने पर परिवादी श्री दौलाराम ने गोपनीय रुप से श्री नारायणलाल आर0आई की उपस्थिति ज्ञात करने पर उसके अपने गुड़ामालानी स्थित आवास पर उपस्थित होना ज्ञात होने पर परिवादी के बड़े भाई श्री भगवानाराम के साथ उसके पिता सह-परिवादी श्री चैनाराम को आर0आई के आवास के पास पहुंच रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाने बाबत डिजिटल टेप रिकार्डर को आपरेट करने की समझाईश कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर सह-परिवादी श्री चेनाराम को सुपूर्द कर श्री चैनाराम के वृद्ध एंव बुजुर्ग होने से परिवादी श्री दोलाराम के बड़े भाई श्री भगवानाराम के साथ आरोपित आर.आई. के रहवासीय मकान की तरफ रवाना किया एवं मुझ कानि0 अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वहीं आस-पास गोपनीय रूप से मुकीम रहा। करीबन आधा-पौन घण्टे पश्चात उक्त दोनों पुनः मेरे पास उपस्थित आए, जिस पर मैंने श्री चेनाराम से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर कर स्वीच ऑफ कर स्वयं के कब्जे में लिया एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर सह परिवादी श्री चैनाराम ने बताया कि आरआई के रहवासीय मकान पर श्री नारायणलाल आरआई उपस्थित मिले, जिनसे हमारे खेत की नेखमबंदी करवाने की वार्ता की तो उन्होने पहले कहा कि

आपका लड़का दौलाराम बोल रहा था कि वो दूसरी कमेटी से करवायेगा, जिस पर हमने कहा कि नहीं आपको ही करनी हैं, तब आरआई ने कहा कि आपके नेखमबंदी कर दूंगा, अभी टाईम नहीं हैं, 17 तारीख के बाद कर दूंगा। आर0आई ने पहले खर्चे-पानी के लिए सम्बंधित हल्का पटवारी से मिलकर वार्ता करने का कहा, जिस पर हमने उनको ही कहा कि पटवारी हमारे कहने पर नहीं आएंगा न ही हमारे पर विश्वास व वार्ता करेंगा, आप ही बता दो, जिस पर आर0आई ने 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की एवं वार्ता के दौरान 04 हजार रुपये मेरे से प्राप्त कर शेश 26 हजार रुपये मौके पर नेखमबन्दी हेतु आने पर लिया जाना तय किया गया। इत्यादि वार्ता को रिकार्ड किया गया हैं। जिस पर प्रकरण में गोपनीयता बरतने एंव नेखमबन्दी/रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व आरोपित आर.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर हाजिर आने बाबत् सह परिवादी श्री चैनाराम व परिवादी श्री दौलाराम को पाबन्द कर अविलम्ब मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय पंहुचने बाबत् श्री लालाराम कानि. को निर्देशित किया गया। साथ ही कानि. श्री लालाराम के मोबाईल वॉट्सऐप कॉल पर ही सह परिवादी श्री चेनाराम से वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही बाबत् आवश्यक हिदायत पृथक से की गई। तदुपरान्त गुडामालानी से रवाना सुदा कानि. रात्रि में चौकी हाजा पर उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के उपरोक्त हालातों से पुनः जबानी अवगत करवाया, जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर उक्त रिकॉर्डिंग मांग सत्यापन वार्ता को सुनने पर परिवादीगण द्वारा पूर्व में बताये तथ्यों की ताईद होते हुए सह परिवादी श्री चेनाराम के खेत की नेखमबन्दी करने की ऐवज में आरोपित श्री नारायणलाल भू अभिलेख निरीक्शक द्वारा 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री चेनाराम से 04 हजार रुपये बेतोर रिश्वत प्राप्त करना एवं शेश 26 हजार रुपये रिश्वत राशि दिनांक 17 जून 2026 के बाद नेखमबन्दी हेतु मौके पर आने के पश्चात लिया जाना तय करना पाया गया। आईन्दा परिवादी, सह परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट् मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा गया एवं श्री लालराम कानि0 को परिवादीगण से अग्रिम कार्यवाही बाबत सम्पर्क में रहने की हिदायत की गई। अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्रीमान उप महानिरीक्शक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर से हालात निवेदन किये गये। दिनांक 16.06.2026 को श्री लालाराम कानि0 ने बताया कि परिवादी श्री दौलाराम ने आज जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि मेरे पिताजी द्वारा श्री नारायणलाल आर.आई. से मोबाईल पर वार्ता कर नेखमबन्दी करने हेतु आने का पूछने पर श्री नारायणलाल आर0आई0 ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से गांवो में केम्प चल रहे हैं, इसलिए 17 जून 26 को नहीं आ पाउंगा, मैं 23 जून 2026 को आपके पास मौके पर आकर नेखमबन्दी कर दूंगा, आप पूर्व में तय सुदा खर्चा-पानी तैयार रखना, जिस पर श्री लालाराम कानि0 को पुनः परिवादीगण के नियमित सम्पर्क में रहने एंव प्रगति से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 22.06.2026 को श्री लालाराम कानि. नं. 328 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ देर पहले परिवादी श्री दौलाराम ने वॉट्सऐप कॉल कर मुझे बताया कि आज श्री नारायणलाल आर.आई. ने मेरे पिता श्री चेनाराम को कल दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 1000 बजे तक पटवारी हल्का के साथ मौके पर आकर हमारे खेत की नेखमबन्दी करने एंव पूर्व में तय सुदा राशि तैयार रखने का समाचार भिजवाया हैं, इसलिए कल कार्यवाही हो सकती हैं, जिस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही बाबत् मुनासिब हिदायत की गई, तथा आरोपित पटवारी के विरूद्ध दिनांक 23.06.2026 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बाड़मेर आगार से उक्त ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान को मामुर करवाकर दिनांक 23.06.2026 को प्रातः 0600 ए.एम. तक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाने एंव कार्यालय एच.एम. श्री सुराब खां हैड कानि. को ट्रेप बॉक्स तैयार कर चौकी स्टाफ को भी कार्यवाही हेतु नियत समय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिवादी द्वारा बताई गई मौका लोकेशन के अनुसार मौका स्थल के आस-पास रेगिस्तानी कच्चा रास्ता होने से श्री मिश्रीमल हैड कानि. को एक प्राईवेट वाहन बोलेरो कैम्पर ट्रोले की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही परिवादी श्री दोलाराम व सह-परिवादी श्री चैनाराम को दिनांक 23.06.2026 को प्रातः 0830 ए.एम. पर आरोपित आर.आई. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 26000 रू. लेकर उनके ग्राम देवल नगर-खडाली में स्थित देवल माताजी के मन्दिर पर उपस्थित मिलने बाबत् श्री लालाराम कानि. नं. 328 के मार्फत निर्देशित किया गया। दिनांक 23.06.2026 को नियत समय पर पूर्व पाबन्द सुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो स्टाफ चौकी हाजा पर उपस्थित आये। दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री रमजान खान पुत्र श्री ईशांक खान, जाति मुसलमान, उम्र 51 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी ग्राम जुनेजों की बस्ती, तहसील षिव, जिला बाड़मेर, हाल सांख्यकी अधिकारी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बाड़मेर आगार व श्री राहुल चौधरी पुत्र श्री तगाराम चौधरी, जाति जाट, उम्र 24 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी ग्राम षिवकर, तहसील व जिला बाड़मेर, हाल वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बाड़मेर आगार के रूप में दिया। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को समझाईश की गई, साथ ही ट्रेप कार्यवाही में राजकीय वाहन के अलावा एक अन्य वाहन की आवश्यकता होने से श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 के माध्यम से एक प्राईवेट वाहन बोलेरो कैम्पर ट्रोले की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो

जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33, श्री अनूपसिंह हैड कानि. नं. 44, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री कंवराराम कानि. नं. 37 व दोनां स्वतन्त्र गवाहान श्री रमजान खां सांख्यकी अधिकारी व श्री राहुल चौधरी वरिष्ठ सहायक के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन बोलेरो कैम्पर से प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा आवश्यकतानुसार एक कागजी पुड़िया में फिनोफ्थलीन पाऊडर अलग से लिया जाकर श्री कंवराराम कानि. नं. 37 को सुपुर्द करवाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना भ्रनिब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर ग्राम देवल नगर-खडाली स्थित देवल माता मन्दिर पर पंहुचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री दौलाराम अपने पिता सह-परिवादी श्री चैनाराम के साथ उपस्थित मिला, व बताया कि आरोपित आर.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि साथ लेकर आया हूं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर हाजिर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रमजान खान सांख्यकी अधिकारी व श्री राहुल चौधरी वरिष्ठ सहायक का हाजिर परिवादी श्री दोलाराम व उसके पिता सह-परिवादी श्री चैनाराम से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 04.06.2026 को आरोपित आर.आई. के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के सत्यापन संबधित महत्वपूर्ण अंशो/वाक्यांश को टेप रिकॉर्डर ऑन व रिवर्स-फॉरवर्ड कर सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी व सह-परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्शर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दौलाराम व सह-परिवादी श्री चैनाराम से आरोपी श्री नारायणलाल भू-अभिलेख निरीक्शक, आर.आई. सर्किल नगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बालोतरा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 26000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी श्री दौलाराम ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 52 नोट, कुल राशि 26000 रू. रूबरू अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, एंव बताया कि आरोपित आर.आई. मेरे पर विश्वास नहीं करता हैं, जो मेरे पिताजी सह-परिवादी श्री चैनाराम से लेन-देन करेगा, परिवादी के उक्त तथ्य की ताईद हाजिर परिवादी के पिता सह-परिवादी श्री चेनाराम द्वारा भी की गई। जिस पर बाद फिनोफ्थलीन पाउडर की कार्यवाही के उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि सह-परिवादी श्री चैनाराम को सुपर्द करने का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैं।

1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 MG 568817
2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 GS 310791
3 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 CG 609181
4 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 CU 169129
5 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 GQ 363059
6 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 QB 458359
7 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 QC 783041
8 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 KP 700087
9 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 KD 871023
10 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 QD 842293
11 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 WF 317807
12 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 NH 947428
13 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 WK 080328
14 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 DG 874355
15 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 DF 091858
16 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 PD 172695
17 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 TR 210182
18 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 FW 943717
19 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 DU 878016
20 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 KU 182170
21 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 BP 218403
22 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 AQ 209713
23 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 VS 299645
24 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 GR 084336

25 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 VE 356705
26 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 SN 006575
27 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 AW 017251
28 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 PR 889797
29 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 HH 661194
30 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 DR 449683
31 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 FH 988239
32 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 SR 746621
33 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 NF 912850
34 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 TE 468472
35 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 DT 248335
36 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 FR 830441
37 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 HG 985629
38 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 HK 255788
39 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 DL 416244
40 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 ND 029460
41 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 CW 493602
42 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 PV 445781
43 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 KA 527352
44 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 SA 486158
45 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 CT 298868
46 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 SU 029309
47 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 DQ 983841
48 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 AT 035024
49 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 ER 961264
50 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 ML 359627
51 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 FF 379421
52 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 RB 034897

चौकी हाजा से वक्त रवानागी कार्यालय हाजा के मालखाना से हमराह जाब्ता के श्री कंवरराराम कानि. नं. 37 के साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुड़िया मंगवाई जाकर श्री कंवरराराम कानि. नं. 37 से ही उक्त 26000 रू. के सभी नोटों को प्राईवट वाहन बोलेरो कैम्पर के पिछली सींट पर बिछाये गये एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। सह-परिवादी श्री चैनाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल चौधरी वरिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी एंव सह-परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया, उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को सह-परिवादी श्री चैनाराम के कुर्ते के दांहिने साईड की जेब में श्री कंवरराराम कानि. नं. 37 से रखवाये जाकर उसे स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के समक्श हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही सह-परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी एंव जाब्ता को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री कंवरराराम कानि. नं. 37 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार एंव बचे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी

साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी, सह-परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कंवराराम कानि. नं. 37 को लेन-देन की कार्यवाही एंव आरोपित के हाथ धोवन एंव अन्य धोवन की कार्यवाही तक ट्रेप दल से पृथक करते हुए फॉरिक कर आस-पास गोपनीय रूप से मौजूद रहने एंव बाद उक्त कार्यवाही के निर्देशानुसार ट्रेप दल के साथ शरीक होने बाबत् निर्देशित किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्शर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान परिवादी श्री दोलाराम व सह परिवादी श्री चैनाराम को हमराह लेकर देवल माता मन्दिर से रवाना होकर मौका स्थल खेत व ढाणी सह परिवादी श्री चैनाराम के पास पंहुचा, आस-पास की लोकेशन का गोपनीय रूप से नजरी अवलोकन कर हमराह जाब्ता, परिवादी एंव गवाहान को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के संबध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात हमराह जाब्ता के अपनी-अपनी उपस्थिति एंव आरोपित पर नजर रखने बाबत् स्थान का निर्धारण कर हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 व श्री लालाराम कानि. नं. 328 को एडवांस पार्टी के तोर पर मामुर कर श्री लालाराम कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा नये मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी व सह-परिवादी के कहेनुसार इनके विष्वस्त तथा मौका स्थल के पास ही स्थित श्री भगवानाराम पुत्र श्री चैनाराम के घर पर गोपनीय रूप से मौजूद रहकर आरोपित पर कड़ी निगरानी रखने एंव आरोपित के गुडामालानी से मौके पर आने पर रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर सह-परिवादी श्री चैनाराम को सुपुर्द करने बाबत् मुनासिफ हिदायत की गई। साथ ही परिवादी एंव सह परिवादी को एडवांस पार्टी के दोनों सदस्यों श्री बांकाराम कानि. व श्री लालाराम कानि. के सत्त सम्पर्क में रहते हुए अपने घर पर ही मौजूद रहने एंव आरोपित आर.आई. के मौकास्थल पर आने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही बाबत् आवश्यक हिदायत की गई। लेन-देन पश्चात परिवादी एंव सह-परिवादी को जैसी भी स्थिति आरोपित से नजरें बचाते हुए एडवांस पार्टी के सदस्यों को पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा करने तथा एडवांस पार्टी के सदस्यों को परिवादी/सह-परिवादी से प्राप्त गोपनीय ईशारे से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने बाबत् निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेश समस्त हमराहियान के मौका स्थल के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से मुकीम रहकर आरोपित आर.आई. के मौका स्थल पर आने एंव रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात परिवादी/सह-परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय बाद परिवादी के घर से उत्तर दिशा की तरफ करीबन 250-300 मीटर दूर एक अन्य घर के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रूकी एंव उसमें से दो व्यक्ति उतर कर परिवादी के घर एंव खेत की तरफ आते हुए दिखे, जिनके संबध में मालुमात कर एडवांस पार्टी के श्री लालाराम कानि. 328 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि ये ही श्री नारायणलाल आर.आई. व हल्का पटवारी हैं, जो सह परिवादी श्री चैनाराम के खेत की नेखमबन्दी करने हेतु यहां पर आये हैं, जिस पर समस्त जाब्ता को सतर्क किया गया, इस बीच लालाराम कानि. ने पुनः बताया कि अभी समय लगेगा, पहले ये लोग नेखमबन्दी का कार्य करेगें एंव तत्पश्चात रिश्वती राशि का लेन-देन होगा। जिस पर श्री लालाराम कानि. को समय पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सह-परिवादी श्री चैनाराम को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी/सह-परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। करीबन घण्टा-डेढ घण्टा बाद एडवांस पार्टी के श्री लालाराम कानि. ने जरिये वॉट्सऐप कॉल बताया कि अधिकांश नेखमबन्दी का कार्य हो चुका हैं, अब खेत में से आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. एंव अन्य लोग भोजन एंव चाय-पानी हेतु सह परिवादी श्री चैनाराम व उसके पुत्र परिवादी श्री दोलाराम के घर में गये हैं, इस बीच मौका पाकर सह-परिवादी श्री चैनाराम हमारे पास यहां भगवानाराम के घर पर आये, जिन्हें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु सुपुर्द कर पुनः स्वयं के घर की तरफ आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. से वार्ता करने हेतु रवाना कर दिया हैं, अब कभी भी गोपनीय ईषारा हो सकता हैं, जिस पर श्री लालाराम कानि. व श्री बांकाराम कानि. को परिवादी/सह परिवादी का ईषारा प्राप्त होते ही अविलम्ब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वक्त 0200 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दौलाराम ने सरहद देवल नगर खडाली में स्थित अपने स्वयं के खेत में स्थित आवासीय घर के बाहर खड़े खेजड़ी के पेड़ के नीचे से श्री भगवानाराम पुत्र श्री चैनाराम के घर की तरफ देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर एडवांस पार्टी में मामुरा हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल वॉट्सऐप कॉल कर अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के प्राईवेट वाहन बोलेरो कैम्पर से रवाना होकर परिवादी श्री दौलाराम व सह-परिवादी श्री चैनाराम के पास पंहुच सह-परिवादी श्री चैनाराम से पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की सुरक्षित

अभिरक्षा में रखा गया। परिवादी एंव सह-परिवादी ने अपने घर के बाहर खेजड़ी के पेड़ के नीचे चारपाई पर सफेद चोला-पायजामा पहने बैठे एक अधेड़ व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि ये श्री नारायणलाल आर.आई. हैं, जिसने अभी-अभी यहीं पर चारपाई पर बेठे-बेठे ही मेरे से मांगकर पूर्व में तय सुदा रिश्वती राशि 26000 रू. प्राप्त कर इसमें मेरे अनुरोध एंव आग्रह पर 5500 रू. वापस देते हुए शेश रिश्वती राशि 20500 रू. अपने पहने हुए पायजामे के बांये साईड की जेब में रखे हैं। उक्त कार्यवाही की हमराह जाब्ता के श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर चारपाई पर बैठे आरोपित भू-अभिलेख निरीक्शक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री नारायणलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति माली, उम्र 59 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी मंछापूर्ण बालाजी कॉलोनी गुड़ामालानी, जिला बालोतरा, हाल भू-अभिलेख निरीक्शक वृत नगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बालोतरा, मोबाईल नं के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. को परिवादी श्री दौलाराम व सह-परिवादी श्री चैनाराम को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने परिवादी व सह-परिवादी के खेत की नेखमबन्दी कार्य के सिलसिले में इनसे जान-पहचान होना व आज मौके पर आना बताया, रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर रिश्वती राशि कहां रखी होने के बारे में पुनः पूछा गया तो अपने पहने हुए पायजामे के बांये साईड की जेब की तरफ हाथ से ईषारा कर बताया कि इसमें ही हैं। जिस पर हाजिर सह-परिवादी श्री चैनाराम ने बताया कि आर.आई. साहब पूरी सही बात नहीं बता रहे हैं, इन्होनें अभी मेरे से पैसों के बारे में बात करते हुए कहा कि कितने करने हैं आपको पता ही हैं, जिस पर मैंने कुछ हिसाब से करने का कहा तो आरोपित आर.आई. ने कहा कि आपके पहले 4000 रू. आये हुए हैं, अब आज अपनी इच्छा से दे दो, जिस पर गिनकर मैंने आरोपित आर.आई. को 20,000 रू. देने का कहने पर आरोपित आर. आई. द्वारा रिश्वती राशि 26000 रू. मेरे से प्राप्त कर पूछा कि ये कितने हैं, तब मैंने बताया कि ये तो 26000 रू. हैं, जिस पर आरोपित आर.आई. ने इसमें से 5500 रू. गिनकर मुझे वापस दे दिऐ एंव 20500 रू. अपने पहने हुए पायजामें के बांये साईड की जेब में रख दिये, तब मैंने पूछा कि आप खुश तो हो, तब आर.आई. साहब ने कहा कि हां खुश हूं तभी मेरे स्वयं की गाड़ी लेकर यहां आया हूं, इस पर हल्का पटवारी श्री भागेन्द्र ने कहा कि नहीं, नहीं ये खुश हैं, ये खूब हैं, और पटवारी जरीब एंव अन्य सामग्री लेकर रवाना हो गया, इस दोरान मेरे बेटे परिवादी श्री दौलाराम का गोपनीय ईषारा पाकर आप लोग आ गये। मैंने आज आर.आई. से हुई पूरी बातचीत एसीबी के टेप में रिकॉर्डिंग की हैं। इस बीच परिवादी व सह-परिवादी दोनों ने ही बताया कि पटवारी की कोई गलती नहीं हैं, पटवारी ने हमसे कभी कोई रिश्वत की मांग नहीं की एंव न ही प्राप्त की गई, सब गलती इस आर.आई. की ही हैं, पटवारी तो अपना काम समाप्त कर यहां से रवाना हो चुका हैं, तथा हम लोग निर्दोश पटवारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहते हैं, पटवारी तो प्रारंभ से ही बिना पैसे हमारा काम करने के लिए तैयार था, किन्तु तहसीलदार के आदेश में आर.आई. को इन्चार्ज बनाकर नेखमबन्दी का आदेश दिया गया था, इसलिए पटवारी अकेला नेखमबन्दी कार्य नहीं कर सकता था, पटवारी ने आर.आई. को अभी हमसे पैसे लेते हुए देखकर यह कहा था कि यह तो वैसे ही खुश हैं, इतने क्यों दे रहे हो, और इसके बाद पटवारी अपनी जरीब एंव अन्य सामग्री लेकर यहां से चला गया, पटवारी का इन पैसों से कोई लेना-देना नहीं हैं। परिवादी एंव सह-परिवादी के उपरोक्त तथ्यों के संबध में आरोपित आर.आई. ने कुछ नहीं बताया एंव नजरें नीचे किये हुए निरूत्तर रहा। जिस पर परिवादी एंव सह-परिवादी की निशांदेही के अनुसार हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल चौधरी वरिष्ठ सहायक से आरोपित आर.आई. के पहने हुए पायजामे के बांये साईड के जेब की तलाशी लिरवाई गई तो जेब में पांच सौ-पांच सौ रूपये के नोटों की एक गड्डी मिली, जिसकी गिनती गवाह श्री रमजान खां सांख्यकी अधिकारी से करवाई गई तो पांच सौ-पांच सौ रू. के 41 नोट, कुल राशि 20500 रू. होने पाये गये, जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री रमजान खां सांख्यकी अधिकारी को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकषी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो 20500 रू. सभी 41 नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकषी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री रमजान खां के पास सुरक्षित रखवाई गई, तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त कुल रिश्वती राशि 26000 रू. में से आरोपित आर.आई. द्वारा 5500 रू. सह-परिवादी श्री चैनाराम को पुनः सुपुर्द किये गये थे, जो स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल चौधरी को सह परिवादी से सुपुर्द करवाकर गिनती करवाई गई तो पांच सौ-पांच सौ रू. के 11 नोट कुल राशि 5500 रू. होने पाये गये, जिस पर गवाह श्री रमजान खां को पूर्व में सुपुर्द फर्द पेशकषी से इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो 5500 रू. सभी 11 नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकषी के मुताबिक पाये जाने से उक्त राशि गवाह श्री राहुल चौधरी के पास सुरक्षित रखवाई गई। इसी प्रकार तलाशी के दोरान आरोपित के पहने हुए चोले के सामने की बांयी जेब से स्वयं का एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का जिसमें ड्यिल सिम नं. क्रमश /एयर टेल व /बी.एस.एन.एल., स्वयं का आधार कार्ड व चालक अनुज्ञा पत्र, नगद राशि 5630 रू. आदि मिले, जिसके बारे राशि जेब खर्च की एंव मोबाईल एंव अन्य दस्तावेज स्वयं के होकर दैनिक उपयोगार्थ अपने पास रखे होना बताया, जो ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये, तत्पश्चात आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए परिवादी के घर से साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल

तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्शर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपित के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्शर करवाकर मार्क एल. एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार वक्त वाका आरोपित आर.आई. के पहनी हुई पैण्ट जिसके बांये साईड की जेब में से रिश्वती राशि बरामद हुई हैं, का धोवन लिया जाना हैं किन्तु यहां मौकास्थल पर आरोपित आर.आई. के पहनने हेतु अन्य कोई पैण्ट, लोअर, पायजामा आदि की व्यवस्था नहीं होने से बाद में धोवन लिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई, जिसे पृथक से हस्ब कायदा सील्ड मोहर किया जायेगा। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित अर्थात नेखमबन्दी हेतु जारी वाद निर्णय एंव इस निर्णय द्वारा नियुक्त कमिशनर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा आरोपित आर.आई. के नाम जारी नेखमबन्दी आदेश के संबध में पूछने पर आरोपित तहसीलदार द्वारा परिवादी पक्श के पास उक्त आदेश होना बताया गया, जिस पर हाजिर परिवादी श्री दोलाराम ने बताया कि तहसीलदार द्वारा आर.आई. साहब के नाम जारी आदेश, वाद निर्णय, मेरे पिताजी का प्रमाण पत्र आदि मैंने इनको दे दिया था, वाद निर्णय एंव उक्त आदेश की फोटो कॉपी हमारे पास हैं, जिनकी प्रतियां मैं रिपोर्ट के साथ पहले ही आपको दे चुका हूं। जिस पर प्रकरण की पत्रावली में उपलब्ध उक्त दस्तावेजात की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री दोलाराम के पिता सह-परिवादी श्री चैनाराम द्वारा अपनी कृषि भूमि के नेखमबन्दी हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी में दायर वाद संख्या 21/2023 में नेखमबन्दी बाबत् पेश करने पर उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 की पालनार्थ नियुक्त कमीशनर तहसीलदार गुड़ामालानी से नेखमबन्दी हेतु जारी आदेश क्रमांक भू.अ./2026/03 दिनाक 12.03.2026 के द्वारा परिवादी के खेत की नेखमबन्दी हेतु आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. एंव श्री भागेन्द्रकुमार पटवारी को नियुक्त करना पाया गया। कमिशनर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.03.2026 की मूल प्रति चाही जाने पर आरोपित आर.आई. ने बताया कि उक्त दस्तावेजात की फोटो प्रतियां ही सह-परिवादी श्री चैनाराम ने मुझे दी थी, जो मेरी गाड़ी में ही रखी हुई हैं, गाडी यहां कच्चा रास्ता होने से कुछ दूरी पर खड़ी हैं, जो मैं पेश कर दूंगा। इस कार्यवाही के दोरान ही राजकीय वाहन से श्री मिश्रीमल हैड कानि. मय जाब्ता को आरोपित आर.आई. के गुड़ामालानी स्थित आवासीय मकान को खाना तलाशी के दृष्टिगत सुरक्षित रखवाने हेतु हिदायत कर रवाना गुड़ामालानी की तरफ किया गया। तत्पश्चात चूंकि मौके पर बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने की लाईट-फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना गुड़ामालानी में पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान दस्तियाब सुदा आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. तथा परिवादी श्री दौलाराम व सह-परिवादी श्री चैनाराम तथा श्री भगवानाराम पुत्र श्री चेनाराम एंव मुर्तिबा मालखाना आईटम्स, रिश्वती राशि एंव आरोपित के वाहन स्कॉर्पियो नं. जी.जे. 16 बीके 3345 आदि को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहन के परिवादी के खेत/घर से रवाना होकर पुलिस थाना गुड़ामालानी पंहुचा, इस बीच नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री कंवराराम कानि. नं. 37 को देवल माता मन्दिर से सीधे ही पुलिस थाना गुड़ामालानी पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस थाना गुडामालानी में हाजिर श्री गौतम सहायक उप निरीक्शक पुलिस से थाने के अनुसंधान कक्श में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत् मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपित आर.आई. व परिवादी/सह-परिवादी से पूछताछ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री रमजान खां सांख्यकी अधिकारी जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 41 नोट, कुल राशि 20500 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री राहुल चौधरी वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकषी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकषी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकषी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्शर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल चौधरी वरिष्ठ सहायक जिन्हें पूर्व में आरोपित द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि में से सह-परिवादी श्री चैनाराम को पुनः सुपुर्द की गई राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 11 नोट, कुल राशि 5500 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री रमजान खां को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकषी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकषी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकषी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को भी एक अन्य सफेद कपडे़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-आर.एम. अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्शर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपित श्री

नारायणलाल आर.आई. को वक्त सत्यापन दिनांक 06.06.2026 को सह-परिवादी श्री चैनाराम से प्राप्त रिश्वती राशि 4000 रू. के बारे में पूछा गया तो अपने पास नहीं होकर खर्च होना बताया गया। इस दौरान आरोपित आर.आई. के पहनने हेतु उसके आवासीय मकान से एक अन्य पैण्ट मंगवाकर पहनने हेतु आर.आई. को दी जाकर उसके द्वारा वक्त वाका से ही पहने हुए पायजामा को उतरवाया जाकर चैक किया गया तो यह सफेद रंग का तथा स्थानीय स्तर पर सिला हुआ पाया गया, इसके दांहिने साईड की जेब का धोवन लेने हेतु एक नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया, जिस पर आरोपित के पैण्ट के दांहिने साईड की जेब को उलटवाकर इसे उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर दो-तीन बार निचोड़ कर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्श्र करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त पैण्ट के दांहिने साईड की जेब को कुछ देर तक बाहर हवा/धूप में सुखाकर इन पर संबधितगण के हस्ताक्श्र करवाकर इसे एक सफेद कपड़े की थेली में सील्ड मोहर कर इस पर पर सम्बंधितगण के हस्ताक्श्र करवाकर मार्क पी. अंकित किया गया। तत्पश्चात निर्देशानुसार थाना परिसर में खड़ी करवाई गई आरोपित आर.आई. की स्कॉर्पियां गाडी नं. जी.जे. 16 बीके 3345 में परिवादी व सह-परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात की फोटोप्रतियां निकालकर आरोपित आर.आई. द्वारा रूबरू गवाहान पेश की गई, जिनका अवलोकन किया गया तो तहसीलदार गुडामालानी के आदेश क्रमांक भू.अ./2026/03 दिनांक 12.03.2026, प्राथी चैनाराम का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2025, पटवार मण्डल खडाली के खसरा सं. 89/1 व 88 की पटवारी द्वारा मुर्तिबा मौका रिपोर्ट व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के प्रकरण सं. 21/2023 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2023 की फोटो प्रतियां होना पाया गया, जिसके अनुसार सह परिवादी श्री चैनाराम के खेत की नेखमबन्दी हेतु आरोपित आर.आई. को आदेषित करना व आरोपित के पास परिवादी व सह परिवादी के खेत की नेखमबन्दी संबधित कार्य पैण्डिग होना पाया गया। उक्त दस्तावेजात पर संबधितगण के हस्ताक्श्र करवाकर शामिल मिशल किये गये। तत्पश्चात वक्त लेन-देन प्रयुक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग होना पाया गया, उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही आरोपी श्री नारायण लाल भू-अभिलेख निरीक्शक मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्श्र करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। इस दोरान श्री कंवराराम कानि. नं. 37 निर्देशानुसार पुलिस थाना गुडामालानी में उपस्थित आया, जिन्हें शामिल ट्रेप दल किया गया। तत्पश्चात मंछापूर्ण बालाजी कॉलोनी गुड़ामालानी स्थित आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. आवासीय मकान की खाना तलाशी हेतु मालखाना आईटम्स सुरक्शार्थ श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. मय जाब्ता के जिम्मे कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुराब खां हैड कानि., श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 मय ऑडियो/विडियो रिकॉर्डर, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रमजान खां व श्री राहुल चौधरी एंव दस्तियाब सुदा आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. तथा थाना गुड़ामालानी के श्री भोलाराम कानि. नं. 1677 व श्रीमति पुष्पा महिला कानि. नं. 910 के हमराह आरोपी के आवास की खाना तलाशी हेतु रवाना पुलिस थाना से रवाना होकर आरोपित के आवास पर पंहुचा, जहां पर निगरानी हेतु पूर्व से तैनात ब्यूरो जाब्ता के श्री अनूपसिंह हैड कानि. नं. 44 व श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 मकान के बाहर उपस्थित मिले, जिन्हें हमराह लेकर मकान पर पंहुचे, तो मकान पर आरोपित की पत्नि श्रीमति सरोज सैनी, पुत्री रीता व पुत्र श्री श्रीकान्त सैनी उपस्थित मिले, जिनकी व आरोपित आर.आई. व दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव महिला कानि. की मौजूदगी में आरोपित के आवास की हस्ब कायदा खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्श्र करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। उक्त खाना तलाशी कार्यवाही की हमराह जाब्ता के श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करवाई गई। बाद उक्त कार्यवाही के मय समस्त हमराहियान पुलिस थाना गुड़ामालानी पंहुच परिवादी श्री दौलाराम व सह-परिवादी श्री चैनाराम की उपस्थिति में वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि की बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही तथा आरोपित के कस्बा गुड़ामालानी में स्थित आवासीय मकान की खाना तलाशी कार्यवाही की राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB में श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB मूल ही राजकीय ऑडियो-विडियों रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रिकॉर्डिंग ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से श्री श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 द्वारा मन् एएसपी के निर्देशन में हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, सह-परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्श्र करवाकर फर्द के संलग्न की गई। तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी, सह-परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान उक्त कार्यवाही के ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही का एक डब मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB तथा आरोपित के कस्बा गुड़ामालानी में स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी कार्यवाही के दो डब मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB तैयार करवाये गये, मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण

का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्शर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क V अंकित किया गया। आरोपित का राजकीय चिकित्सालय गुडामालानी से चिकित्सीय परीक्शण करवाकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात आरोपित श्री नारायण लाल आर.आई. की आवाज पहचान कार्यवाही हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से श्री प्रेमप्रकाश भू-अभिलेख निरीक्शक, लीव रिजर्व, तहसील कार्यालय गुड़ामालानी व श्री हरिराम भू-अभिलेख निरीक्शक, वृत कार्यालय गुड़ामालानी की तलबी कर उक्त दोनों आवाज पहचानकर्ताओं को दिनांक 06.06.2026 को आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. के साथ सह-परिवादी श्री चैनाराम व उसके पुत्र श्री भगवानाराम पुत्र श्री चैनाराम के साथ रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 23.06.2026 को आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. एंव सह-परिवादी श्री चैनाराम के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. की आवाज पहचान करने हेतु रिकॉर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश आरोपित के उक्त दोनों साथी कॉर्मिकगण को रूबरू मौतबिरान सुनवाये जाकर आरोपित आर.आई. के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द ‘‘आवाज पहचान आरोपी श्री नारायण लाल आर.आई..‘‘ मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात सह-परिवादी श्री चैनाराम व उसके पुत्र श्री भगवानाराम की आरोपी श्री नारायण लाल आर.आई. के साथ दिनांक 06.06.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 08 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी व सह-परिवादी तथा श्री भगवानाराम के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित हैड कानि. के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 08 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्शर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्शर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ‘‘डी” अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान सह-परिवादी श्री चैनाराम द्वारा की गई। इसी प्रकार दिनांक 24.06.2026 को सह-परिवादी श्री चैनाराम व आरोपी श्री नारायण लाल आर.आई. के मध्य दिनांक 23.06.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 08 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी व सह-परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित हैड कानि. के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 08 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्शर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्शर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ‘‘एल” अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान सह-परिवादी श्री चैनाराम द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री नारायणलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति माली, उम्र 59 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी रेल्वे कुंए के पास गडरा रोड़, जिला बाडमेर, हाल निवासी मंछापूर्ण बालाजी कॉलोनी गुड़ामालानी, जिला बालोतरा, हाल भू-अभिलेख निरीक्शक वृत नगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बालोतरा के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्शर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार इसके पुत्र श्री श्रीकान्त सैनी को रूबरू दी गई, साथ ही वक्त बरामदगी कार्यवाही आरोपित के पास से रिश्वती राशि के अलावा प्राप्त मोबाईल, आधार कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र, नगद राशि 5630 रू. आदि आरोपित के कहेनुसार आरोपित के पुत्र श्री श्रीकान्त सैनी को सुपुर्द किये गये। इसके अलावा वक्त घटना आरोपित के पास मौजूद उसके स्वयं के वाहन स्कॉर्पियो नं. जी.जे. 16 बीके 3345 जो थाना परिसर में खड़ी करवाई गई थी, को भी प्रकरण में वांछनीय नहीं होने से आरोपित के कहेनुसार मय चाबी के इनके पुत्र श्री श्रीकान्त सैनी को दुरूस्त हालत में सुपुर्द की गई। गिरफ्तारी के

प्रावधानों से संबधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा गिरफ्तारी के आधार की सूचना, अन्तर्गत धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33, श्री अनूपसिंह हैड कानि. नं. 44, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री कंवराराम कानि. नं. 37 व दोनां स्वतन्त्र गवाहान श्री रमजान खान व श्री राहुल चौधरी के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री नारायणलाल आर.आई. को हमराह लेकर मय परिवादी श्री दौलाराम, सह परिवादी श्री चेनाराम व श्री भगवानाराम पुत्र श्री चेनाराम के कार्यवाही में मुर्तिबा पत्रावली मय मालखाना आईटम्स यथा आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1, पी.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 20500 रू. का पैकेट मार्क-एम, आरोपित द्वारा वक्त लेन-देन सह-परिवादी को पुनः सुपुर्द रिश्वती राशि 5500 रू. का पैकेट मार्क-आर.एम., बरामदगीस्थल से संबधित वक्त वाका आरोपित आर.आई. के पहने हुए पायजामे का सीलड्युक्त पैकेट मार्क-पी., वार्ताओं एंव ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग के मेमोरी कार्ड एंव डब सीडियां एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं प्राईवेट वाहन बोलेरो कैम्पर से वास्ते घटना/बरामदगी स्थल का निरीक्शण करने सरहद देवल नगर-खडाली एंव तत्पश्चात एसीबी बाड़मेर के लिए रवाना होकर घटना/बरामदगी स्थल पर पंहुच रूबरू मौतबिरान सह-परिवादी श्री चैनाराम व परिवादी श्री दौलाराम की निशांदेही में घटना/बरामदगी स्थल का निरीक्शण कर फर्द नक्षा नजरी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में मौके की कार्यवाही पूर्ण करने एंव अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी एंव अन्य की ता नहीं होने से परिवादी श्री दौलाराम, सह-परिवादी श्री चेनाराम एंव श्री भगवानाराम पुत्र श्री चेनाराम आदि को बमुकाम सरहद देवल नगर-खडाली/घटनास्थल से ही फॉरिक किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेश समस्त हमराहियान गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री नारायणलाल आर.आई. के सरहद देवल नगर-खडाली से रवाना होकर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो बाड़मेर पंहुच ऊपर अंकित मालखाना आईटम्स श्री सुराब खां हैड कानि. 97 प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर हस्ब कायदा जमा मालखाना करवाया गया। आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. को दैनिक क्रिया कलापों से निवृत करवाया गया। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नारायण लाल भू-अभिलेख निरीक्शक, वृत कार्यालय नगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री दोलाराम के पिता सह-परिवादी श्री चैनाराम द्वारा अपनी कृषि भूमि के नेखमबन्दी हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी में दायर वाद संख्या 21/2023 में नेखमबन्दी बाबत् पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 की पालनार्थ नियुक्त कमीशनर तहसीलदार गुड़ामालानी से नेखमबन्दी हेतु आदेश क्रमांक भू.अ./2026/03 दिनाक 12.03.2026 के द्वारा नियुक्त आरोपित श्री नारायणलाल आर.आई. द्वारा मौके पर नेखमबन्दी करने की ऐवज में सह-परिवादी से वक्त सत्यापन दिनांक 06.06.2026 को 30,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से 4000 रू. उसी समय प्राप्त किये एंव शेश 26000 रू. दिनांक 17.06.2026 के पश्चात नेखमबन्दी हेतु मौके पर आने पर लिया जाना तय किया गया। जिसके क्रम में आरोपित भू-अभिलेख निरीक्शक द्वारा दिनांक 23.06.2026 को मौके पर परिवादी के खते/घर पर पंहुच सह-परिवादी से पूर्व में तय सुदा उक्त रिश्वती राशि 26000 रू. की मांग कर प्राप्त किये एंव सह-परिवादी के आग्रह पर इसमें 5500 रू. वापस कर शेश 20500 रू. फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त राशि अपने स्वयं के पहने पायजामें के बांये साईड की जेब में रखने के पश्चात मौकास्थल से ही उक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर रिश्वती राशि 20500 रू. आरोपित आर. आई. के वक्त वाका पहने हुए पायजामें के बांयी साईड में जेब में से रूबरू मौतबिरान बरामद की गई। इत्यादि कृत्य से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं। लिहाजा गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री नारायण लाल भू-अभिलेख निरीक्शक को आज के रोज माननीय सक्शम न्यायालय के समक्श जे.सी. हेतु पेश किया जायेगा। अतः आरोपी श्री नारायणलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति माली, उम्र 59 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी रेल्वे कुंए के पास गडरा रोड़ बाड़मेर, हाल निवासी मंछापूर्ण बालाजी कॉलोनी गुड़ामालानी, जिला बालोतरा, हाल भू-अभिलेख निरीक्शक वृत नगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बालोतरा के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नारायणलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति माली, उम्र 59 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी रेल्वे कुंए के पास गडरा रोड़ जिला बाड़मेर, हाल निवासी मंछापूर्ण बालाजी कॉलोनी गुड़ामालानी, जिला बालोतरा, हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत नगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बालोतरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपतचन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 437 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1037-40 दिनांक 25.06.206 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- जिला कलक्टर, बालोतरा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जौधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT CHAND **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/06/2026 16:24:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)